ELECTION / URGENT

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या : 1376 / शिविर–निर्वा0–2016 दिनांक : 01 नवम्बर,2016

समस्त ई0आर0ओ0 / ए0ई0आर0ओ0,

1. संख्याः 983 / शिविर–निर्वा0–2016 दिनांकः 30 सितम्बर,2016
2. संख्याः 984 / शिविर–निर्वा0–2016 दिनांकः 30 सितम्बर,2016
3. संख्याः 1019 / शिविर–निर्वा0–2016 दिनांकः 02 अक्टूबर,2016
4. संख्याः 1030 / शिविर–निर्वा0–2016 दिनांकः 03 अक्टूबर,2016
5. संख्याः 1079 / शिविर–निर्वा0–2016 दिनांकः 06 अक्टूबर,2016

जैसा कि आप अवगत है कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दृष्टिगत मा0 निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम विद्यमान है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मा0 आयोग द्वारा पूर्व में **BLOs** द्वारा दावें एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक **31 अक्टूबर, 2016 निर्धारित** की गयी थी। तदुपरान्त कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 15 नवम्बर, 2016** किया गया है।

अतः BLOs द्वारा पूर्ववत् अभियान के रूप में दावें एवं आपत्तियॉ **दिनांकः 15 नवम्बर, 2016 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।**

इस क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का एवं पार्श्व के **बाक्स में** अंकित अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत पूर्व निर्देशों का स्वयं भी शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ समस्त **Supervisor/BLO/पदाविहित अधिकारियों** से भी उक्त निर्देशों का **शत–प्रतिशत अनुपालन** सुनिश्चित करायें।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में किसी स्तर पर किसी प्रकार की उदासीनता, शिथिलता एवं अनवधानता होने की स्थिति में आप अवगत ही होगें कि चुनाव से संबंधित **आफिसियल ड्युटी न करना और किसी भी प्रकार की कार्यवाही में लापरवाही करना संज्ञेय अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा–134 के तहत संज्ञेय अपराध होकर दण्डनीय अपराध की परिधि में आता है और किसी भी प्रकार की कार्यवाही में लापरवाही पर** दोषसिद्ध पाये जाने की स्थिति में कारावास **और जुर्माना के** दण्ड का भी प्राविधान है।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपजिला निर्वाचन अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ कि दावें–आपत्तियॉ लेने की तिथि को **15 नवम्बर, 2016 तक बढ़ाये जाने के संबंध में** सभी **मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को** अपने स्तर से अवगत करायें एवं इस संबंध में **उनके साथ एक बैठक भी आयोजित करें।**
2. सी.एम.ओ. / डीसी,मनरेगा / डी.डी.ओ. / पी.डी.,डीआरडीए / समस्त बी.डी.ओ. / डीपी.आर.ओ. / बीएसए / एबीएसए / डी.पी.ओ. / सीडीपीओ / मुख्य सेविका, बालविकास को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ समस्त **अधिकारियों / कर्मचारियों (BLO) एवं पदाविहित अधिकारियों से उपरिलिखित पत्र में दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें।**
3. समस्त सेक्टर अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि उपरिलिखित पत्र में दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. जिला सूचना विज्ञान(एन0आई0सी0) को संबंधित पोर्टल पर व्यवहृत करने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी,प्रतापगढ़ को उपरोक्त के संबंध में प्रेस नोट जारी कर व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु।

जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी
प्रतापगढ़।